

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 360/2025

1. तरसेम सिंह पुत्र श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. धर्मप्रीत पुत्र श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादीगण

बनाम

1. लीला सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजपाल कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. मनप्रीत कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. लवप्रीत कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. अमनदीप कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुखदीप कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. मनदीप कौर पुत्री श्री लीला सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 120/44 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.25625 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.12625 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करने तथा इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 104/86 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.8855 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया